न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2021

1. मदन पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवारी कणाउ त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र छबीलाराम जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. दयाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. शेरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. अचरज पुत्री ओमप्रकाश पत्नी भगतराम जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा हाल निवासी खचवाना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण ।। की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 22/25 के खसरा सं0 67 की 0.986है0 खसरा सं0 110 की 6.614है0 खसरा सं0 177 की 19.261 है0 कुल 26.861है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 6.715है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 04 अचरज ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 मदन प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 2 दयाराम प्रतिवादी सं0 3 शेरसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.3.21 .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2021

1. मदन पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र छबीलाराम जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. दयाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. शेरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. अचरज पुत्री ओमप्रकाश पत्नी भगतराम जाति खाती निवासी कणाउ त0 भादरा हाल निवासी खचवाना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण: वादी

वकील श्री श्रवण सहारण ।। : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 17.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 22/25 के खसरा सं0 67 की 0.986है0 खसरा सं0 110 की 6.614है0 खसरा सं0 177 की 19.261 है0 कुल 26.861है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 6.715है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा छबीलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। छबीलाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की समी... [illegible] ...करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ... राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। ... [illegible] ... करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:56 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में मदन पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी कणाउ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 विरासतन ईतंकाल प्रदर्श 2 जमाबंदी चालु संवत 2072–75 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 विरासतन ईतंकाल प्रदर्श 2 जमाबंदी चालु संवत 2072–75 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 2 व 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 में वारिस प्रमाण के अनुसार ओमप्रकाश के तीन पुत्र मदन, दयाराम, शेरसिंह व एक पुत्री अचरज तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादीया स0 04 अचरज ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 ता 03 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 22/25 के खसरा सं0 67 की 0.986है0 खसरा सं0 110 की 6.614है0 खसरा सं0 177 की 19.261 है0 कुल 26.861है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 6.715है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 04 अचरज ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 मदन प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 2 दयाराम प्रतिवादी सं0 3 शेरसिंह को बहिस्सा बरावर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:56 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner